# तकनीक अग्रणी राष्ट्र ही विश्व का नेतृत्व करते हैं : भजनलाल शर्मा

## मुख्यमंत्री भजनलाल ने एम.एन.आई.टी. दीक्षांत समारोह में 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मैडल दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज का युग तकनीक, नवाचार और ज्ञान का युग है, और जो राष्ट्र इन क्षेत्रों में अग्रणी होते हैं, वही विश्व का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनाना होगा और इसके लिए युवा शक्ति को आगे आकर देश की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाना होगा।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ''इस वर्ष संस्थान में 150 से अधिक डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई हैं। 30 से अधिक दिव्यांगों ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा 77 अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों ने प्रवेश लिया।''

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एम.एन.आई.टी. दीक्षांत समारोह में आर्किटेक्चर और प्लानिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा डिग्रियाँ प्रदान कीं।

मुख्यमंत्री शनिवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बी.टेक, एम.टेक, एम.एससी., एम.बी.ए. तथा आर्किटेक्चर और प्लानिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक पहनाकर डिग्रियां प्रदान कीं। साथ ही हिन्दी भाषा में प्रकाशित टेक्निकल जर्नल का भी विमोचन किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संस्थान से 150 से अधिक विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई, वहीं 30 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इस वर्ष 77 अंतरराष्ट्रीय छात्रों का भी संस्थान में प्रवेश हुआ है।मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएनआईटी ने अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप सहयोग और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से राजस्थान और देश को गौरवान्वित किया है। संस्थान का उत्तर भारत में शीर्ष एनआईटी के रूप में स्थान प्राप्त करना गर्व की बात है। संस्थान द्वारा 249 परामर्श परियोजनाएं और 13 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से कई अनुसंधान कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एमएनआईटी द्वारा भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान, रैडॉक्स इंजीनियरिंग और परमाणु ऊर्जा विभाग के न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के साथ किए गए एमओयू को संस्थान की एक बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई-स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 66 लॉन्चपैड नेस्ट बनाए गए हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक 2028 स्टार्टअप्स को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 300 स्टार्टअप्स को लगभग 11 करोड़ रुपये की फंडिंग भी प्रदान की गई है।

राज्य में ''लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस'' प्रोग्राम के तहत विफल स्टार्टअप्स को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ''अर्ली करियर प्रोग्राम (टेकबी)'' शुरू कर 12वीं के तुरंत बाद युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अब तक लगभग 91 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और करीब 1.54 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

# प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से राजस्थान के आठ जिले लाभांवित होंगे : मुख्यमंत्री

## इन जिलों में सूक्ष्म सिंचाई, बीमा, तकनीकी सहयोग व भंडारण सुविधाओं का तेजी से विस्तार कर रहे : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, सांसद राव राजेन्द्र सिंह और मंजू शर्मा भी मौजूद रहे।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई ''प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन'' केवल योजनाएं नहीं, बल्कि देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री शनिवार को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री के विशेष कृषि कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर देशव्यापी पहल का हिस्सा भी बने।

मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत देश के 100 कृषि जिलों को चुना गया है, जिनमें राजस्थान के 8 ज़िले - बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर और चूरू शामिल हैं। इन जिलों का चयन उनकी कम उत्पादकता, औसत से कम फसल ऋण और सिंचाई सुविधाओं के आधार पर किया गया है।

इस योजना के तहत फसल विविधीकरण, सिंचाई का विस्तार, भंडारण क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण और तकनीकी सलाह की सुविधा दी जाएगी। इस कार्य में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास और जल संसाधन जैसे कुल 11 विभाग एक साथ समन्वय में कार्य करेंगे।मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र (ड्रिप और स्प्रिंकलर) लगाए जा चुके हैं, जिससे जल संरक्षण और उत्पादन में सुधार हुआ है। आने वाले वर्षों में राज्य का हर खेत सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। शर्मा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में 7.5 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं और 1.76 करोड़ पॉलिसीधारक किसानों को 5965 करोड़ का मुआवजा दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए 35 हजार से अधिक फार्म पॉन्ड, 7 हजार 900 डिग्गियां और 98 हजार से अधिक पाइपलाइन यूनिटें बनाई गई हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना, पार्वती और काली सिंध नदी लिंक परियोजनाएं तथा ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट तेजी से प्रगति पर हैं, जिससे सिंचाई के लिए स्थायी समाधान मिलेगा।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, सांसद राव राजेन्द्र सिंह, मंजू शर्मा, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

## एन.एस.यू.आई. की रैली आज

जयपुर। एन.एस.यू.आई. राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ व अन्य साथियों की रिहाई की मांग को लेकर 12 अक्टूबर रविवार को जयपुर में जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया जायेगा। यह रैली प्रातः 11 बजे 200 फीट बाईपास, हीरापुरा से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक, जयपुर तक जाएगी। इस दौरान हजारों कार्यकर्ता, विद्यार्थी एवं युवा साथी लोकतंत्र की बहाली और छात्र अधिकारों की आवाज बुलंद करेंगे।

# खाद्य सुरक्षा टीम ने 1275 किलो मिलावटी मसाले जब्त किए

जयपुर। राज्य सरकार के ''शुद्ध आहार-मिलावट पर वार'' अभियान के तहत शनिवार को जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने मिलावटी मसालों की एक बड़ी खेप पकड़ी। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में की गई।

कार्रवाई के क्रम में टीम ने एक लोडिंग ऑटो को पकड़ा, जिसमें हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर से भरे 11 कट्टे मिले। पूछताछ के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल मुरलीपुरा स्थित कर्ती एंटरप्राइजेज फर्म तक पहुंचा। निरीक्षण के दौरान फर्म परिसर में कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलोग्राम मिलावटी मसाले पाए गए। इस व्यापारी के यहां से पूर्व में भी लिए गए मसालों के नमूने अनसेफ पाए जा चुके हैं। मसालों में मिलावट को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 64 के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई सतत जारी है। नियमित बैठकों के माध्यम से रणनीति बनाकर ऐसे व्यापारियों की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, विशाल मित्तल, नरेंद्र शर्मा एवं पवन कुमार गुप्ता शामिल रहे।

खाद्य सुरक्षा टीम ने शनिवार को 1275 किलो मिलावटी मसालों की खेप पकड़ी।

# सवाई मानसिंह अस्पताल से जब्त किए कई दस्तावेज

- न्यूरो सर्जरी विभाग के एच.ओ.डी. के रिश्वत का मामला

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जयपुर मुख्यालय की टीम शनिवार को एसएमएस अस्पताल पहुंची। यहां डॉक्टर मनीष अग्रवाल के दोनों कार्यालय में जांच शुरू की।

वहीं एसएमएस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश शर्मा को एसीबी की मदद करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस दौरान एसीबी को डॉक्टर मनीष अग्रवाल द्वारा की गई खरीद के सम्बन्ध में कई दस्तावेज मिले। जिन की जांच शुरू कर दी गई हैं।डीजी एसीबी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर एएसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में एसएमएस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में डॉ मनीष अग्रवाल के एचओडी न्यूरो सर्जरी और अतिरिक्त प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कार्यकाल के दौरान किए गए सभी आइटम्स एवं उपकरणों के प्रिक्योरमेंट, स्टोर से किए गए इंडेंट और उनके हस्ताक्षर से किए गए सभी भुगतानों से संबंधित सभी दस्तावेज जब्त किए गए। बाकी का रिकॉर्ड सोमवार को एसीबी सीज करेगी। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। जिन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया हैं।

**आम सूचना** सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य ने प्लाट नं. 52, गोर्वधन जी की गली, प्रताप नगर मुरलीपुरा को क्रय करने का अनुबंध कर लिया है जिसकी रजिस्ट्री शीघ्र अनुबंध अनुसार औपचारिकता, विक्रेता रामगोपाल प्रजापत द्वारा पूरी करने पर करवायी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति, संस्था को कोई आपत्ति है तो वह 7 दिवस मे मय प्रमाण मिले, बाद में आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी सूचित रहे।
दिनांक-11.10.2025 संजय कुमार नाटाणी
जयपुर एडवोकेट, मो. 9928350546

**हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना**
**( साधारण प्रारूप )**
**व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4**
न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश महोदय स्थान करौली हेतराम विरूद्ध श्रीमती निशा
वाद/प्रार्थना पत्र 13 HMA
प्रार्थना-पत्र संख्या 130/25 सन्
नाम श्रीमती निशा पत्नी हेतराम गुर्जर पुत्री शिम्भूदयाल शर्मा पता मरदई खुर्द खूंडा तह. मासलपुर हाल निवास वेरेर तहसील रैणी जिला अलवर (राज.) उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 04 माह 11 सन् 2025 को 10 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 08 माह 10 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
(मोहर) वरिष्ठ मुंसरिम
पारिवारिक न्यायालय करौली ( राज. )

**नाम परिवर्तन**

मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड में मेरा नाम प्रद्युमन चौहान है जबकि मेरी 10वीं की मार्कशीट में मेरा नाम प्रद्युमन है। यह दोनों नाम मेरे स्वयं के है इसलिए भविष्य में मुझे प्रद्युमन चौहान के नाम से ही जाना जाए प्रद्युमन चौहान पुत्र जयवीर सिंह चौहान 25-ए, श्री विष्णु विहार कॉलोनी, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर

मैंने मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा से बदलकर मनीष कुमार रख लिया है, भविष्य में मुझे मनीष कुमार के नाम से जाना जाए। निवासी ई-73 नियर रिलायंस टावर, हसनपुरा-ए, जयपुर-302006

मैं ईशान्त स्वामी पुत्र ओमप्रकाश स्वामी, शिवाजी कॉलोनी, निवाई (टोंक) मेरा पूर्व में नाम विवेक स्वामी पुत्र ओमप्रकाश स्वामी था जिसको बदलकर ईशान्त स्वामी पुत्र ओमप्रकाश स्वामी रख लिया है। अन्य दस्तावेजों में ईशान्त स्वामी पुत्र ओमप्रकाश स्वामी है। अतः भविष्य में इसी नाम जाना जावें।

मैंने अपनी पुत्री का नाम नित्या (Nitya) से बदलकर नित्या देशवाल (Nitya Deshwal) पुत्री रोहित देशवाल रख लिया है भविष्य में इसे नित्या देशवाल के नाम से जाना जाए। निवासी-73 विवेक विहार, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान

मैंने अपना नाम संदीप कुमार हेनरी से बदलकर संदीप हेनरी रख लिया है। भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मुझे संदीप हेनरी पुत्र श्री एस एच हेनरी निवासी 143, सुभाष कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान के नाम से जाना जाए।

# बारबाडोस में गूंजा 'वसुधैव कुटुंबकम्'

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। सम्मेलन के दौरान गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन, बहुपक्षीय सहयोग और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। देवनानी ने बताया कि सम्मेलन न केवल विचारों के आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण मंच रहा, बल्कि विश्वभर की संसदीय परंपराओं से सीखने का एक दुर्लभ अवसर भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और मजबूत संसदीय परंपराएं वैश्विक समुदाय के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं।

अपने प्रवास के दौरान देवनानी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बारबाडोस स्थित भारतीय दूतावास में प्रवासी भारतीय समुदाय से संवाद किया। इस अवसर पर भारतीय मूल के नागरिकों ने देश के प्रति अपनी भावनाएं साझा की।

देवनानी ने कहा कि विदेशों में रहकर भी प्रवासी भारतीय भारतीय संस्कृति और मूल्यों से गहरे जुड़े हुए हैं, जो गर्व की बात है।

## संत मुरलीधर सुनाएंगे संगीतमय ''नानी बाई को मायरो'' कथा

जयपुर। जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंददेवजी के सानिध्य में नानी बाई का मायरा श्री लक्ष्मी जगदीश मानस परिवार त्रिवेणी नगर जयपुर द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक सामुदायिक केंद्र त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बायपास जयपुर मैं आयोजित किया जा रहा है। इस कथा में भक्त नरसी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट आस्था का वर्णन किया गया है यह कथा बताती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नानी बाई के मायरे भात को पूरा करके परिवार का सम्मान बचाया। इस प्रेरणादायक कथा का गायन और प्रवचन संत मुरलीधर महाराज कथा व्यास पीठ जोधपुर द्वारा किया जाएगा।

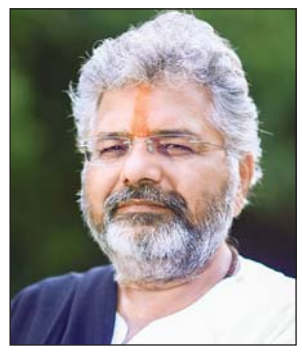

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ ( ) जविप्रा/उपा/ जोन-11/ 2025/डी 7152, दिनांक 10.10.2025

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अम्बरीश दमानी पुत्र श्री श्याम सुन्दर दमानी द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या 192 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर की लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। ग्राम झाई तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 237, 239/733, 240, 368/751, 370 अवाप्त क्षेत्रफल 10700 वर्गमीटर अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 2675 वर्गमीटर (आवासीय 2140 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 535 वर्गमीटर) भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी-147 दिनांक 10.11.2006 के द्वारा भूमि मैसर्स पेलिकन कैप्स टेक्नोलोजीज प्रा.लि. जरिये प्रतिनिधि श्री नीरज अग्रवाल के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त आरक्षण पत्र के आधार पर लॉटरी से आवंटित भूखण्डों का आवंटन पत्र क्रमांक 8841 दिनांक 20.11.2009 को जारी किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का नाम प्रतिस्थापन पत्र क्रमांक 1604 दिनांक 21.5.2010 को गोवर्धनदास भंवरलाल एच.यू.एफ. कर्ता श्री श्यामसुन्दर दमानी पुत्र श्री भंवरलाल दमानी के पक्ष में जारी किया गया है। आवेदक द्वारा 500/- रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र की प्रति अपलोड की गई है, जिसके अनुसार गोवर्धनदास भंवरलाल एचयूएफ परिवार का एचयूएफ कर्ता श्री अम्बरीश दमानी पुत्र श्री श्याम सुन्दर दमानी को नियुक्त किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड के नाम हस्तांतरण/लीजडीड किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था एवं अन्य को आपत्ति हो तो यह सूचना जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर/-
उपायुक्त जोन-11 जविप्रा, जयपुर ।

## दिव्यांगों के साथ संगीत कार्यक्रम

जयपुर। लायंस क्लब सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को लाइंस क्लब जयपुर फ्रेंड्स के सौजन्य से लुई ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान वीकेआई एरिया में दिव्यांग बच्चों एवं शिक्षकों के साथ संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

# नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ पर 13 अक्टूबर होगी गुलाबी नगरी में भव्य प्रदर्शनी

## राजस्थान में नए कानूनों के क्रियान्वयन से आए परिवर्तनों को प्रदर्शनी में दर्शाया जाएगा : मुख्य सचिव सुधांश पंत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली तीन नवीन आपराधिक संहिताओं को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो चुका है। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए इन ऐतिहासिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार दंड के स्थान पर न्याय की अपनी अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए जयपुर में एक आयोजन करने जा रही है। नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष के सकारात्मक बदलाव के लिए जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर 2025 तक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।

इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

वहीं नए अपराधी कानून पर आयोजित होने जा रही प्रदर्शनी के शनिवार को पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए.सावंत और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव ( गृह ) भास्कर ए. सावंत और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने जयपुर में आयोजित होने वाली ''नए अपराधी कानून प्रदर्शनी'' की जानकारी दी।

मुख्य सचिव पंत ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार नए आपराधिक कानून जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए की भावना को मजबूत करते हैं, जो लोकतंत्र की नींव है।

उन्होंने कहा कि बरसों बाद औपनिवेशिक कानूनों में व्यापक बदलाव हुए हैं, जिसने देश को दंड की पुरानी अवधारणा से हटाकर न्याय की ओर प्रवृत्त किया है।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रदर्शनी दिल्ली के बाद अब राजस्थान में नए कानूनों के क्रियान्वयन से आए परिवर्तनों को दर्शाएगी, जहां डेमो द्वारा विस्तृत जानकारी मुहैया कराई जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए सावंत ने कहा कि कानून को पढ़ना और समझना कठिन कार्य है परंतु इस प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से कानून को सरल व प्रायोगिक तरीके से समझना आसान हो जाता है। उन्होंने इस कार्य में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने नए कानूनों को नव विधान बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से पारदर्शिता और त्वरित न्याय प्रदायगी पर केंद्रित है। उन्होंने उल्लेख किया कि न्याय के लिए विभिन्न स्तरों पर समय सीमाएं तय की गई है, जिससे महिला, बच्चों और समाज के हर वर्ग को बिना किसी देरी के सुगमता से न्याय मिल सके। उन्होंने सभी हितधारकों और आमजन से अपील की कि वे न्याय की इन महत्वपूर्ण जानकारियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि कानूनी प्रक्रिया में आया यह सकारात्मक बदलाव जमीनी स्तर पर महसूस किया जा सके।

**खोया पाया**

मेरे आवास 40/133 स्वर्ण पथ, मानसरोवर के मूल आवंटन, कब्जा एवं अदेय प्रमाण पत्र कहीं खो गया है जो कि राज. आवासन मण्डल द्वारा अनिल कुमार खन्ना के नाम से जारी है मिलने पर सूचित करें-8890206699

मेरे आवास 40/134 स्वर्ण पथ, मानसरोवर के मूल आवंटन, कब्जा एवं अदेय प्रमाण पत्र कहीं खो गया है जो कि राज. आवासन मण्डल द्वारा अनिल कुमार खन्ना एवं ललिता खन्ना के नाम से जारी है मिलने पर सूचित करें-8890206699

मेरा मकान नं. 114/180 प्रताप नगर, सेक्टर-11 का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें- मुकेश वर्मा-9352866921

मेरे फ्लैट संख्या 5/ए/12 नीलकण्ठ अपार्टमेंट, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर का मूल कब्जा पत्र क्रमांक 4070 दिनांक 06.12.2019 व मूल अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 4261/3872 दिनांक 29.11.2019 का इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में खो गया है किसी को मिले तो सूचित करें। दीपक कुमार मीणा

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर**
**आवश्यक सूचना** आवास संख्या 5/94 एन.ई.बी. 82 योजना अलवर जो कि मूलत श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनिवास शर्मा को आवंटन पत्रांक 9646 दिनांक 20.01.1988 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार को आवास का कब्जा दिनांक 24.03.1988 को संभलाया जा चुका था। इनके बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा आवास का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 161/5046 दिनांक 04.02.2024 को श्री अशोक कुमार मल्होत्रा पुत्र श्री देशराज मल्होत्रा के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री अशोक कुमार मल्होत्रा की मृत्यु दिनांक 23.04.2014 को हो जाने के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी पुत्रों श्री नितेश मल्होत्रा व श्री रजत मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत नोटरी द्वारा घोषणापत्र व अन्य शपथपत्री एवं प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का संयुक्त रूप से मृत्यु उपरान्त नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु शुल्क जमा कराकर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आमाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 5/94 एन.ई.बी. 82 योजना अलवर के सम्बन्ध मे पिता, पुत्र, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उज्र एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री नितेश मल्होत्रा व श्री रजत मल्होत्रा पुत्रान स्व. श्री अशोक कुमार मल्होत्रा के पक्ष में संयुक्त रूप से आवास का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।
**उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त अलवर**

**नम्बर मिलाइए**
**9587884433**

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

**कार्यालय नगरपालिका मण्डल पोकरण, जिला जैसलमेर (राज.)**

क्रमांक /न.पा.पो./भूमि/25/3898 दिनांकः- 11.10.2025

**-: लोकसूचना :-** प्रारुप -10 (नियम 6(7) देखिये)

इस कार्यालय में भिन्न आवेदकों ने कृषि भूमि रुपान्तरण / नियमन एवं भु उपयोग परिवर्तन के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित भूमि का गैर -कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु (मोटल) ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है -

| क्र. सं. | आवेदक का नाम मय पिता/ पति का नाम | जिले सहित तहसील का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल | चाहे गये रुपान्तरण का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरिसिंह बैरवा/गैदाराम व बतूलाल बैरवा/ गैदाराम | पोकरण/जैसलमेर | 12115/31 | 42009 वर्गफीट | मोटल |
| 2. | हरिसिंह बैरवा/गैदाराम व बतूलाल बैरवा/गैदाराम | पोकरण/जैसलमेर | 12115/31 | 40236 वर्गफीट | मोटल |
| 3. | हरिसिंह बैरवा/गैदाराम व बतूलाल बैरवा/गैदाराम | पोकरण/जैसलमेर | 12115/31 | 39888 वर्गफीट | मोटल |
| 4. | हरिसिंह बैरवा/गैदाराम व बतूलाल बैरवा/गैदाराम | पोकरण/जैसलमेर | 12115/31 | 32470 वर्गफीट | मोटल |

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90- क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर - भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा । उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटार किया जायेगा । यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गई ।

**अधिशाषी अधिकारी**
**नगरपालिका पोकरण**